न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 65/2019(2019/00147)

1. रमता देवी पत्नि देवकरण
2. प्रहलाद पुत्र देवकरण
3. विमला पुत्री देवकरण

समस्त जाति बलाई निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र रामदेव
2. ताराचन्द पुत्र रामदेव

समस्त जाति बलाई निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–अभिलेख एवं उप पंजीयक केकड़ी जिला अजमेर

––अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री हेमन्त जैन–प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री निर्मल चौधरी–अप्रार्थीगण अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया पुराना		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
792	719	669 4083	0.69 0.25	बारानी उत्तम बारानी उत्तम
		किता 2	रकबा 0.94 हैक्टर	

उपरोक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में प्राथीगण का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है तथा आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के अपने–अपने हिस्सेनुसार संयुक्त कब्जे, काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के मध्य विधिवत बंटवारा नही हुआ है जिसके कारण दोनो पक्षों में आपस में लडाई झगडे होते रहते है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की नियत खराब है तथा वे आराजीयात के मूल्यवान हिस्से विशेष पर जबरन कब्जा कर हिस्से विशेष को बिना बंटवारा किये बेचना चाहते है। दिनांक 20.06.2019 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 तथा कुछ माफिया किस्म के लोग आराजीयात पर आये तथा आराजीयात में कॉलोनी काटने की मंशा जाहिर की। प्रार्थीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण व उनके साथ आये लोगो ने धक्का मुक्की कर इस जमीन को खरीदकर इसके मूल्यवान हिस्से में कब्जा करने एवं प्रार्थीगण को आराजीयात के आगे के हिस्से को छोडकर जाने एवं बिना बंटवारा किये बेचने की धमकिया दी एवं आराजीयात में पिलर इत्यादि लगाने के लिए खड्डे खोदना शुरू कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा की गई इस अवैध कार्यवाही से मजबूर होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने, आराजीयात को बेचान, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन नही करने, आराजीयात में खड्डे नही खोदने, आराजीयात को नष्ट–भ्रष्ट नही करने एवं ना ही ऐसा कोई कृत्य करने जिससे प्रार्थीगण को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात के शांतिपूर्ण कब्जे उपयोग उपभोग से बेदखल होना पडे के लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जवाब सरकार प्राप्त हुआ जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खातेदारी में दर्ज होने एवं राजहित प्रभावित नही होने की टिप्पणी पत्रावली में अंकित की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जावब निम्नानुसार है–

पेरा संख्या 01 के क्रम में गलत, झूठे, मिथ्या तथ्यों के आधार पर झूठा वादपत्र पेश करने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया है। पेरा संख्या 02 में वर्णित कथन स्वीकार है पेरा संख्या 03 में वर्णित कथन आराजीयात में प्रार्थीगण एवं प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा होना स्वीकार है, अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थिया के पिता स्व. देवकरण के जीवनकाल में ही वाद वर्णित आराजीयात का बंटवारा हो चुका है जिसकी दिनांक 15.06.2008 को प्रार्थिया के पति व अप्रार्थीगण ने एक लिखावट लिखी थी जिस पर प्रार्थीया के पति एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है। एवं उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। पेरा संख्या 4 से 9 कतई गलत होने से अस्वीकार है। जवाब के अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि दिनांक 15.06.2008 को किये गये बंटवारे के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 कैलाशचन्द का हिस्सा प्रार्थीगण के पति/पिता व अप्रार्थी संख्या 2 ताराचन्द के हिस्से के पास का बीच वाला हिस्सा आया जो कि पूर्व दिशा की तरफ का हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 2 ताराचन्द के हिस्से अप्रार्थी संख्या 1 कैलाशचन्द के हिस्से के पास स्थित पूर्वी दिशा की ओर स्थित खेत का हिस्सा आया है। अप्रार्थी संख्या 3 गोपीचन्द के हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के दक्षिण दिशा की तरफ हिस्से में आये खेत के सामने रोड को पार करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ वाला खेत आया है। प्रार्थीगण का हिस्सा रोड पार करने के बाद दक्षिण की तरफ स्थित खेत के पश्चिम दिशा की तरफ का हिस्सा आया है जो कि छोटू धोबी के खेत के पास का हिस्सा है। उक्त बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या1 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी पर किसी प्रकार से कॉलोनी बनाकर प्लॉट नही काट रहे है और ना ही आराजी के मूल्यवान हिस्से पर कब्जा कर रहे है प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 अस्वीकार है, पेरा संख्या 2 रिकॉर्ड से संबंधित है, पेरा संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने हैरान परेशान करने के लिए झूठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थनाप पत्र में वर्णित आराजी वाके करबा केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता संख्या नया–पुराना 792–719 के खसरा नम्बर 669 रकबा 0.69 हैक्टर पर मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनायें रखे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner